18-01-2023

वैवाहिक बलात्कार

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि वह वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

त्वरित मुद्दा?

- वैवाहिक बलात्कार का अर्थ पति-पत्नी में से एक दूसरे की सहमति के बिना यौन संबंध बनाना है।
- विश्व में लगभग 100 से अधिक देशों ने वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण कर दिया है, लेकिन भारत उन 36 देशों में से एक है जहाँ वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित नहीं किया गया है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 5.4% भारतीय महिलाओं ने अपने जीवन काल में वैवाहिक बलात्कार का अनुभव किया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत बलात्कार की परिभाषा में वैवाहिक बलात्कार को एक आपराधिक अपराध के रूप में शामिल नहीं किया गया है।
- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 बलात्कार को एक आपराधिक अपराध के रूप में परिभाषित करती है, इसके अनुसार अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाता है तो वह बलात्कार कहलाता है।
- 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में निर्णय दिया कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है, और उसकी पत्नी की आयु 15 से 18 वर्ष के बीच है, तो इसे बलात्कार माना जाएगा।
- पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वैवाहिक बलात्कार एक प्रकार की घरेलू हिंसा है, इस कानून के तहत कोई महिला अदालत में वैवाहिक बलात्कार के लिए अपने पति से न्यायिक अलगाव की मांग कर सकती है।

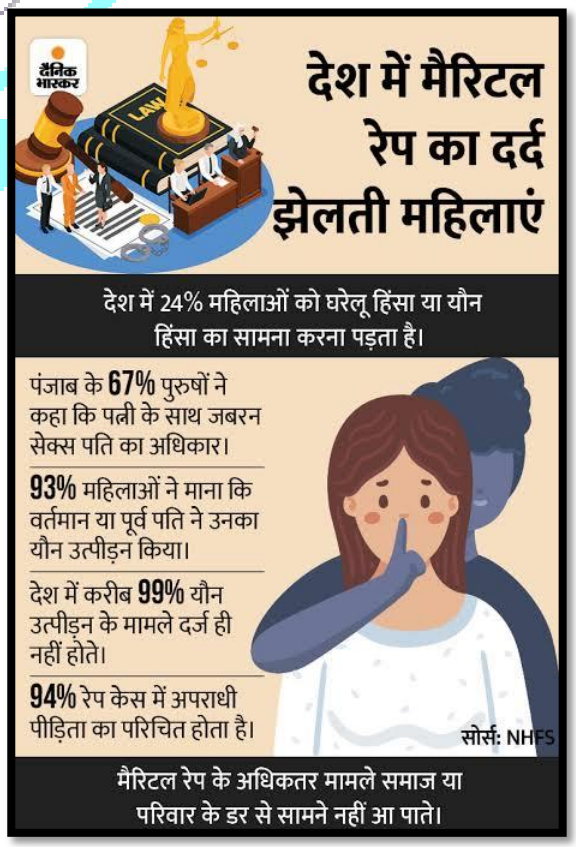

- विवाहित महिलाओं को, गैर-सहमति वाले यौन संबंधों के विरुद्ध कानूनी संरक्षण घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या आईपीसी की धारा 498-ए के तहत प्राप्त है।
- आईपीसी की धारा 376-ए के तहत न्यायिक रूप से अलग हुई पत्नी के साथ बलात्कार को अपराध घोषित किया गया था।
- वैवाहिक बलात्कार यौन हिंसा का एक गंभीर रूप है, जो लैंगिक न्याय के प्रतीक के रूप में कई सभ्य समाज में दंडनीय है 1
- वैवाहिक बलात्कार महिला की गरिमा का उल्लंघन करता है जिससे अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार) का उल्लंघन होता है।
- वैवाहिक बलात्कार महिलाओं के बीच उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करता है और उन्हें यौन स्वायत्तता से वंचित करता है।
- वैवाहिक स्थिति के आधार पर महिलाओं के लिए बलात्कार के अलग प्रावधानों को लागू करना समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) के भी विरुद्ध है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण से जुड़ी चुनौतियाँ

- वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण परिवारों में अराजकता पैदा करेगा और विवाह संस्था को अस्थिर करेगा।
- कुछ पत्नियां अपने निर्दोष पतियों पर वैवाहिक बलात्कार के झूठे मामलों का आरोप लगा सकती हैं तथा पतियों के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना मुश्किल होगा।
- वैवाहिक बलात्कार आईपीसी की धारा 498ए (पति और ससुराल वालों द्वारा विवाहित महिला को परेशान करना) और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के दुरुपयोग के समान कानून का दुरुपयोग करके पतियों को परेशान करने का एक आसान साधन बन सकता है।
- कानून का दुरुपयोग एक बड़ा कारण है जिसके कारण कई न्यायविदों और और पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं ने वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण पर चिंता जताई है।
- कुछ कार्यकर्ताओं के अनुसार, दहेज के अधिकांश मामले झूठे साबित होते हैं तथा भारत इसी प्रकार के एक और विनाशकारी कानून से नहीं निपट सकता है जो कानूनी आतंकवाद के बराबर होगा।

- वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर रखना समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता को मजबूत बनाना है, जिसके तहत पत्नी को पति की संपत्ति माना जाता है और वे उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं।
- वैवाहिक बलात्कार के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करने से महिलाओं की गर्भनिरोधक के बारे में बातचीत करने, यौन संचरित होने वाली बीमारी से खुद को बचाने की शक्ति खत्म हो जाती है।
- वैवाहिक बलात्कार से पीड़ित महिलाओं पर इसका गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, एक अध्ययन के अनुसार, वैवाहिक बलात्कार की शिकार महिलाओं में अवसाद का शिकार होने की संभावना लगभग दोगुनी होती है।
- विवाह को एक पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ जबरन बलात्कार करने के लाइसेंस के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
- निर्भया गैंगरेप मामले में गठित न्यायमूर्ति वर्मा समिति और 2013 में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति (सीईडीएडब्ल्यू) ने भी सिफा रिश की थी कि भारत सरकार को वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण करना चाहिए।

चीन-भूटान सीमा विवाद

समाचार पत्रों में क्यों?

चीन-भूटान सीमा मुद्दे पर 11वीं विशेषज्ञ समूह बैठक चीन के कुनमिंग शहर में आयोजित किया गया है। इस तीन चरण-रोडमैप के तहत समझौते के लिए सहमति बनी है।

त्वरित मुद्दा?

- भूटान चीन के साथ 477 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- चीन भूटान के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा करता है:
  - उत्तर में - पसमलुंग और जकारलुंग घाटियाँ ये दोनों स्थान भूटान के लिए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
  - पश्चिम में- डोकलाम, ड्रामाना, और शखातो, याक चू और चारिथांग चू, और सिंचुलुंग्पा और लैंगमारपो घाटियाँ। ये स्थान चरागाह-समृद्ध हैं और रणनीतिक रूप से भूटान-भारत-चीन ट्राइजंक्शन में स्थित हैं। यह क्षेत्र भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब स्थित हैं।
- 2020 में चीन ने भूटान के पूर्व में सकतेंग अभयारण्य में नए दावे किए।
- आश्चर्यजनक रूप से, दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता के पिछले दौर में पूर्वी भूटान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए, विवादित क्षेत्रों की सूची में पूर्वी भूटान को शामिल करने से भूटान परेशान है।

- भूटान के इस पूर्वी क्षेत्र में एक बड़ी भूटानी आबादी है, पारंपरिक Dzongs (गढ़वाले मठ) और दो भूटानी जिले अति प्राचीन काल से हैं।

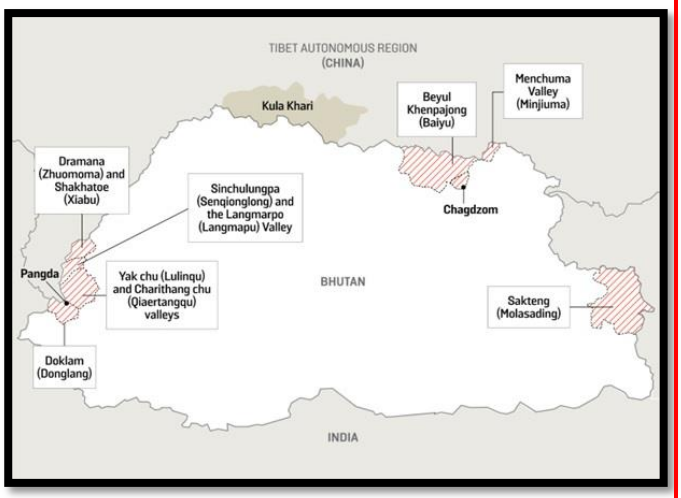

- भूटान का चीन के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, देश ने 1984 में चीन के साथ अपनी पहली सीमा-वार्ता शुरू की थी।
- आज तक, दोनों देशों ने 11 विशेषज्ञ समूह की बैठकें और सीमा वार्ता के 24 दौर आयोजित किए हैं।
- अक्टूबर 2021 में, भूटान और चीन ने चीन-भूटान सीमा वार्ता में तेजी लाने के लिए तीन-चरणीय रोडमैप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- तीन चरणों वाला रोडमैप अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
- चीन-भूटान सीमा विवाद से जुड़े घटनाक्रमों पर भारत के मायने -भारत डोकलाम के निकट चीनी उपस्थिति को रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट एक प्रमुख सुरक्षा चिंता के रूप में देखता है।
- चीन ने अरुणाचल की सीमा के पास भूटान में एक वन्यजीव अभयारण्य पर भी दावा किया है।
- यह इसलिए मायने रखता है, क्योंकि दिसंबर 2022 में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी पर भारतीय और चीनी सेना की टुकड़ियों के बीच झड़प हुई थी।

- चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में क्या चुनौतियाँ हैं?
  - भूटान-चीन सीमा विवाद द्विपक्षीय मुद्दा नहीं, त्रिपक्षीय है।-पहली चुनौती यह देखना है कि क्या चीन भारत के साथ ट्राइजंक्शन क्षेत्रों पर चर्चा करने का इच्छुक होगा। इसके लिए चीन को भूटान-चीन सीमा विवाद को द्विपक्षीय मसला मानने की अपनी दशकों पुरानी नीति को छोड़ना होगा और भारत को भी इसमें शामिल करना होगा।
- पश्चिमी विवादित क्षेत्रों में चीन का बढ़ता विस्तार
  - भारत ने कई मौकों पर भूटान को चीन की बढ़ती पैठ के बारे में जानकारी और संवेदनशील बनाया है।
  - भूटान में इन निरंतर घुसपैठों को रोकने के लिए भौतिक क्षमता और उपस्थिति का अभाव है।इसके बावजूद, यह अधिक चीनी मुखरता के डर से और अधिक भारतीय सहायता लेने के लिए अनिच्छुक रहता है।
- चीन भूटान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का इच्छुक है
  - चीन के सीमा विवादों के समाधान में अक्सर भूटान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करना शामिल रहा है।
  - बीजिंग से इस तरह की मांगें और तेज होंगी क्योंकि अमेरिका और भारत के साथ उसका तनाव बढ़ेगा।

शुक्रयान-1

समाचार पत्रों में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संगठन (ISRO) का वीनस मिशन, जिसे शुक्रयान-1 (Shukrayaan 1) कहा गया है, दिसंबर 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद थी, हालांकि, इसरो के मुताबिक उसे अभी तक इस मिशन के लिए भारत सरकार से मंजूरी नहीं मिली है और इसके परिणामस्वरूप मिशन को 2031 तक के लिए टाला जा सकता है।

त्वरित मुद्दा?

- यह बात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सतीश धवन प्रोफेसर और इसके अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम के सलाहकार पी. श्रीकुमार ने कही।
- अमेरिकी और यूरोपीय दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों ने वर्ष 2031 में क्रमशः वेरिटास (VERITAS) एवं एनविज़न (EnVision) नामक शुक्र मिशन की योजना बनाई है, जबकि चीन वर्ष 2026 या 2027 में शुक्र मिशन लॉन्च कर सकता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- शुक्रयान-1 के पेलोड में वर्तमान में एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन सिंथेटिक एपर्चर रडार और एक ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार शामिल हैं।
- इस मिशन में शुक्र की भूगर्भीय और ज्वालामुखीय गतिविधि, सतह पर उत्सर्जन, हवा की गति, बादलों के आवरण का अध्ययन किया जायेगा।
- पृथ्वी से शुक्र की इष्टतम लॉन्च विंडो प्रत्येक 19 महीने में एक बार आती है।
- यह उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियों को प्राप्त करने हेतु एक तकनीक को संदर्भित करता है। रडार सटीकता के कारण बादलों और अँधेरे में भी प्रवेश कर सकता है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी मौसम में दिन और रात डेटा एकत्र कर सकता है।
- सतह प्रक्रिया और उथले उपसतह स्ट्रैटिग्राफी की जाँच अभी तक शुक्र की उपसतह का कोई पूर्व अवलोकन नहीं किया गया है। स्ट्रैटिग्राफी भूविज्ञान की एक शाखा है जिसमें चट्टान की परतों का अध्ययन किया जाता है।
- इससे यह जानने में मदद मिलेगी कि पृथ्वी जैसे ग्रह कैसे विकसित होते हैं और पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट (ग्रह जो हमारे सूर्य के

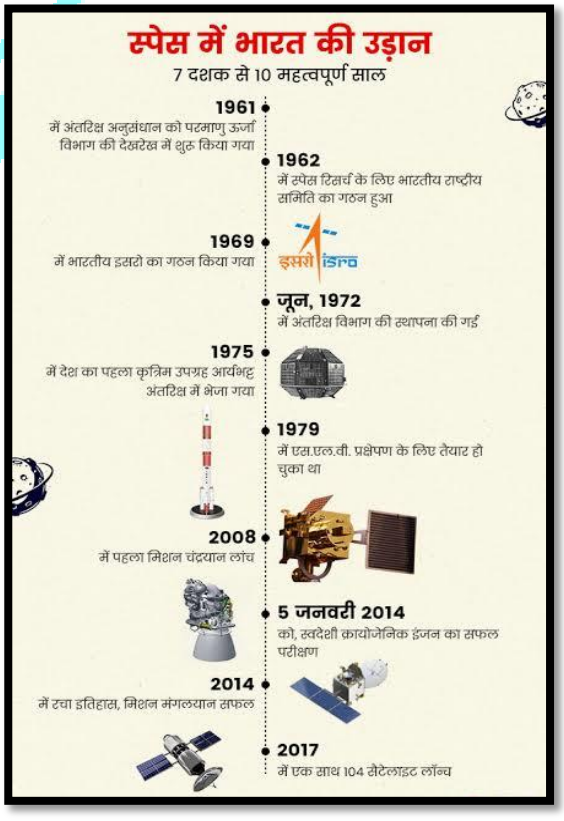

अलावा किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं) पर क्या परिस्थितियाँ मौजूद हैं।

- यह पृथ्वी की जलवायु के प्रतिरूपण में मदद करेगा तथा सावधानीपूर्वक इस प्रकार कार्य करता है कि कैसे एक ग्रह की जलवायु नाटकीय रूप से बदल सकती है।
- **शुक्र ग्रह: -** इसका नाम प्रेम और सुंदरता की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह दूसरा तथा द्रव्यमान और आकार में छठा बड़ा ग्रह है।
  - यह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में दूसरा सबसे चमकीला प्राकृतिक ग्रह है, शायद यही कारण है कि यह पहला ग्रह था जिसे दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व आकाश में अपनी गति के कारण जाना गया।

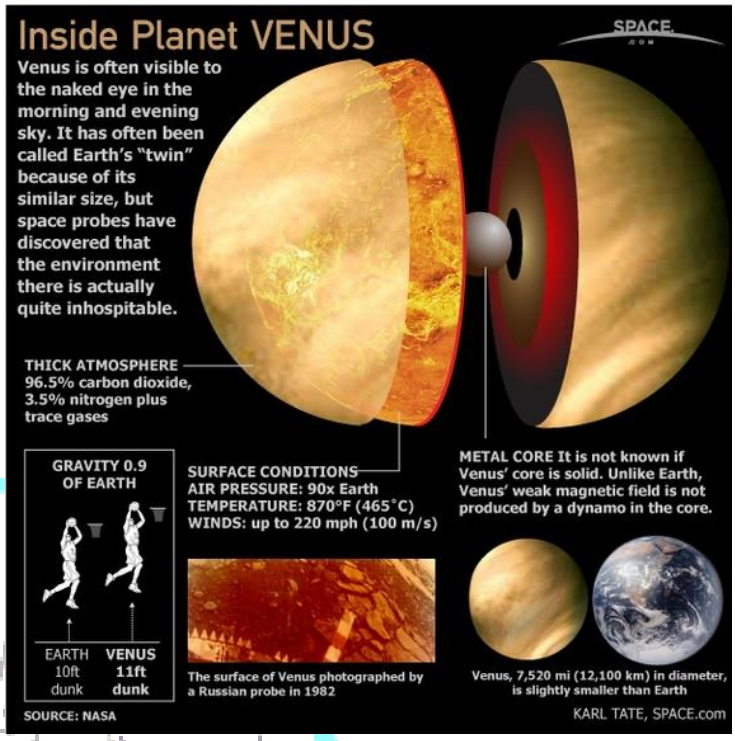

- हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों के विपरीत शुक्र और यूरेनस अपनी धुरी पर दक्षिणावर्त घूमते हैं।
  - कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता के कारण यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है जो एक तीव्र ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा करता है।
- शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के एक वर्ष से ज़्यादा लंबा होता है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने की तुलना में शुक्र को अपनी धुरी पर घूर्णन में अधिक समय लगता है।
  - सौरमंडल में किसी भी ग्रह के एक बार घूर्णन में 243 पृथ्वी दिवस और सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने हेतु 224.7 पृथ्वी दिवस लगते हैं।
- शुक्र को उसके द्रव्यमान, आकार और घनत्व तथा सौरमंडल में उसके समान सापेक्ष स्थानों में समानता के कारण पृथ्वी की जुडवाँ बहन कहा गया है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

शुक्र ग्रह पर विभिन्न मिशन

- शुक्र वह पहला ग्रह था जिसे किसी मानव अंतरिक्ष मिशन ने फ्लाई बाय / Explore किया था। नासा के मेरिनर - 2 ने 14 दिसंबर, 1962 को बादलों से ढकी इस दुनिया को स्कैन किया था।
- हाल के वीनस मिशनों में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) की वीनस एक्सप्रेस और जापान की अकात्सुकी वीनस क्लाइमेट ऑर्बिटर शामिल हैं।
- जून 2021 में, शुक्र के लिए तीन नए मिशनों की घोषणा की गई। NASA ने दो नए मिशनों (VERITAS और DAVINCI) की घोषणा की, और ESA ने एक (EnVision) की घोषणा की।

- पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है; साथ ही यह चंद्रमा के अलावा पृथ्वी का सबसे निकटतम बड़ा पिंड है।
- शुक्र का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी से 90 गुना अधिक है।